

पत्रांक:- 599/20

प्रेषक:-

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
शाखा - एस0के0एम0सी0एच0 कैम्पस,
मुजफ्फरपुर ।

मुज0

दिनांक:- 18/3/2020

विषय-इस परिसर में अवस्थित SBI ATM के संबंध में ।
महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि आज दिनांक - 18.03.2020 को अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर का किए गए निरीक्षण में पाया गया है कि सुधा मिल्क पार्लर के पास जो SBI का ATM है, वहाँ न कोई गार्ड रहता है और न कोई सुरक्षा का प्रबंध है । वहाँ अनाधिकृत लोगो का जमावडा लगा रहता है, जो गलत प्रवृत्तियों में संलिप्त पाये जाते हैं, जो चिन्तनीय एवं खेद का विषय है ।

उक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में अवस्थित उक्त ATM के पास 24 घंटे किसी सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाए, ताकि वहाँ गलत प्रवृत्तियों में संलिप्त लोगो के जमावडा पर प्रतिबंध लग सके, अन्यथा उक्त ATM को इस परिसर से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए । विदित हो कि यह मामला अतिक्रमण से संबंधित है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन CWJC-6684/2010 से आच्छादित है ।

विश्वासभाजन
18/3/2020
प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

पत्रांक:- 599/20

प्रेषक:-

प्राचार्य,
श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया,
शाखा - एस0के0एम0सी0एच0 कैम्पस,
मुजफ्फरपुर ।

मुज0

दिनांक:- 18/3/2020

विषय-इस परिसर में अवस्थित SBI ATM के संबंध में ।
महाशय,

उपरोक्त विषयक सूचित करना है कि आज दिनांक - 18.03.2020 को अधोहस्ताक्षरी एवं अन्य वरीय पदाधिकारियों के साथ इस चिकित्सा महाविद्यालय परिसर का किए गए निरीक्षण में पाया गया है कि सुधा मिल्क पार्लर के पास जो SBI का ATM है, वहाँ न कोई गार्ड रहता है और न कोई सुरक्षा का प्रबंध है । वहाँ अनाधिकृत लोगो का जमावडा लगा रहता है, जो गलत प्रवृत्तियों में संलिप्त पाये जाते हैं, जो चिन्तनीय एवं खेद का विषय है ।

उक्त के मद्देनजर अनुरोध है कि इस चिकित्सा महाविद्यालय में अवस्थित उक्त ATM के पास 24 घंटे किसी सुरक्षा गार्ड की प्रतिनियुक्ति की जाए, ताकि वहाँ गलत प्रवृत्तियों में संलिप्त लोगो के जमावडा पर प्रतिबंध लग सके, अन्यथा उक्त ATM को इस परिसर से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित किया जाए । विदित हो कि यह मामला अतिक्रमण से संबंधित है तथा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विचाराधीन CWJC-6684/2010 से आच्छादित है ।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्राचार्य


श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-

1. प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. जोनल मैनेजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
3. कॉलेज वेबसाईट ।


प्राचार्य

श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय
मुजफ्फरपुर